

परियोजना का नाम

A 2.44.1  
:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, बैराट बैरान से बगोट मोटर मार्ग (4.040 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(41)

### फैक्ट सीट

2. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)-

आरक्षित वन भूमि	-	शून्य
सिविल सोयम भूमि (वन स्वरूप)	-	1.440 हे०
निजी भूमि	-	2.196 हे०
योग	-	3.636 हे०

3. प्रस्तावक विभाग का नाम

- ग्रा० अभि० सेवा विभाग पी०आई०यू०-११,  
पी०एम०जी०एस०वाई डीडीहाट, पिथौरागढ़

4. वन प्रभाग का नाम

- ..... वन प्रभाग

5. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है

- हाँ/नहीं

6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है

- हाँ/नहीं

7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

- हाँ/नहीं

8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।

- हाँ/नहीं

9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।

- हाँ/नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है।

- हाँ/नहीं

11. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

- हाँ/नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

- हाँ/नहीं

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।  
- हाँ/नहीं
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - हाँ/नहीं
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ/नहीं
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ/नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)  
- हाँ/नहीं
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।  
- हाँ/नहीं
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये है - हाँ/नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) -  नहीं
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) -  नहीं (क्षे0 5 हे0 से कम )
29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है -  नहीं
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है -  नहीं

### अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है-  नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है -  नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है -  नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है -  नहीं

34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है -  नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है -  नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है -  नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अपर सहायक अभियन्ता  
ग्रा० अभिकनिष्ठ अभियन्ता  
ग्रा० अभि० सेवा विभाग  
पी० आई० यू०-११, पी०एम०जी०एस०वाई  
डीडीहाट, पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता  
ग्रा० अभि० सेवा विभाग  
पी० आई० यू०-११, पी०एम०जी०एस०वाई  
डीडीहाट, पिथौरागढ़ विभाग  
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग  
पी०आई०यू०-११ पी०एम०जी०एस०वाई०  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिशाली अभियन्ता  
ग्रा० अभि० सेवा विभाग  
पी० आई० यू०-११, पी०एम०जी०एस०वाई  
डीडीहाट, पिथौरागढ़  
Rural Engineering Service  
P.M.G.S.Y.- Didihat



क्रम संख्या	प्रमाण-पत्र/अन्य सूचनायें	पृष्ठ संख्या
1.	प्रतिवेदन	4
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	5
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	11
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	14
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)	15
6.	1:50,000 पैमाने का टेपोशीट मानचित्र।	17
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	19
8.	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	21
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	22
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	23
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	24
12.	बार चार्ट।	29
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	30
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	31
15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र।	33
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	<del>34</del> 34
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	<del>35</del> 35
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	<del>36</del> 36
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	<del>37</del> 37
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिए)	40 38
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	40 40
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 क्षे0फ0 से अधिक के प्रकरणों में लाभ)	45 42
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	47 45
24.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	49 47
25.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	50 49
26.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	51 50
27.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	51
28.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणीक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	52

29.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	53
30.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	54
31.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	55
32.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रों के प्रकरणों में लागू होगा)	56
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	54
34.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों का पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	60
35.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे० से कम क्षेत्रों के प्रकरणों में लागू होगा)	62
36.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यो के प्राक्कलन।	63
37.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	64
38.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बड़ी हुयी धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	65
39.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	66
40.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी०, पी०डी०एफ० फोरमेट में।	—

A - 2.24.6

67

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, बैराट बैरान से बगोट मोटर मार्ग (4.040 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा है।

हस्ताक्षर  
प्रस्तावक   
Executive Engineer  
Rural Engineering Service  
P.M.G.S.Y.- Didihat

  
(प्रभागीय मनोधिकारी)  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग